

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०५ अक्टूबर, 2019

क्रमांक— एफ-22-08/2017/पी-1/इकतीस :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-12-2018 के द्वारा लोक सेवा आयोग की अनुशंसा अनुसार मुख्य चयन सूची सहायक यंत्री (सिविल) क्रमांक-01 श्री विष्णु कुमार मौर्य, अनारक्षित को मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 के तहत सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान रूपये 56100-177500 (छठवा वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु.5400/-) पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ नियुक्ति प्रदान की गई थी।

2/ इस विभाग के आदेश दिनांक 28-12-2018 के अनुपालन में निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी श्री विष्णु कुमार मौर्य के कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-12-2018 के द्वारा श्री विष्णु कुमार मौर्य की सहायक यंत्री(सिविल) के पद पर की गई नियुक्ति निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(निलय सतमेया)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2019

पृ० क्रमांक एफ-22-08/2017/पी-1/इकतीस
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 2- स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 3- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके ज्ञाप क्रमांक-13457/59/2018/चयन, दिनांक 20 नवंबर, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4- आयुक्त, जन संपर्क, जन संपर्क संचालनालय, भोपाल
- 5- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
- 6- वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 7- श्री विष्णु कुमार मौर्य, आत्मज श्री राम सूरत मौर्य, 117, सेमरिया, इल्लिफतगंज, टांडा, अंबेडकरनगर, उत्तरप्रदेश, पिन-224145।
- 8- आर्डर बुक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग